

## कार्यालय उपपंजीयक रीवा जिला रीवा म०प्र०

// भार मुक्त प्रमाण पत्र //

वर्ष 2024 से 2025 तक

दिनांक : 30.01.2025



प्रमाणित किया जाता है कि हीरालाल सिंह शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति जरिये दिवाकर सिंह पिता श्री चन्द्रभान सिंह निवासी वार्ड नं. 33, मोती नगर जिला बालाघाट के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर कार्यालय उपपंजीयन रीवा में आनलाईन सर्च की गई जिसके अनुसार निर्मांकित सम्पत्ति का आवेदक द्वारा कहीं विक्रय, बंधक, दान, होना नहीं पाया गया है।

सम्पत्ति का विवरण मौजा चौखड़ा हल्कानं. 07 तहसील: त्योंथर जिला - रीवा, मध्यप्रदेश।

रजिस्ट्री क.	दिनांक	खसरा नं.	विक्रय एरिया	लगान
220/5323	11 फरवरी 2013	177/1 क	0.80 हेक्टेयर	7632.00

नोट:-

1. प्रमाण पत्र, विक्रय पत्र / बैनामा दिनांक के आधार पर दिया गया है।
2. इस प्रमाण पत्र में अपेक्षित सावधानी बरती गई है। प्रमाण पत्र की किसी भी त्रुटि के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा आवेदनकर्ता के शपथ पत्र के आधार पर भार मुक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
3. खसरा नं एवं चतुर्सीमा अनुसार भार मुक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
4. आवेदन से मिलता जुलता दस्तावेज यदि बंधक हो तो प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. यह भार मुक्त प्रमाण पत्र सहायक ग्रेड-2 (रिकार्ड प्रभारी लिपिक) द्वारा सूची-2 को सर्च उपरान्त जारी किया गया।

वरिष्ठ उप - पंजीयक  
रीवा (म०प्र०)